संख्याः 145121 /XVII(4)/2023-02(02)/2009-TC

प्रेषक,

हरि चन्द्र सेमवाल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अनुभाग–1, देहरादूनः दिनांक 07 अगस्त ~~जुलाई,~~ 2023

विषय–महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभागान्तर्गत राज्य सहायतित 01 जुलाई, 2017 से संचालित "नन्दा गौरा योजना" के संचालन के संबंध में संशोधित सामान्य दिशा–निर्देश।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–3097 / नन्दा गौरा यो0–5238 / 2021 –22 दिनांक 06.01.2022 में किये गये अनुरोध के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–1082 / XVII(4)/2017-02/2009-TC दिनांक 15.06.2017 के द्वारा कन्याओं के प्रति समाज की धारणाओं को परिवर्तित कर लिंग, अनुपात की असमानता में कमी लाने, महिला साक्षरता में वृद्वि, बाल विवाह को समाप्त करने तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उददेश्य से महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग तथा समाज कल्याण विभाग में कन्याओं हेतु संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को एकीकृत कर "नन्दा गौरा योजना" प्रारम्भ की गई है। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु समय–समय पर जारी किये गये समस्त शासनदेशों / कार्यालय ज्ञाप को अवक्रमित करते हुए एतद्द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उक्त हेतु नवीन दिशा–निर्देश निम्नवत् निर्धारित किये जाते हैं:–

1– <u>योजना का उद्देश्य–</u>

"नन्दा गौरा योजना" का मुख्य उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाना, बाल विवाह रोकना, समाज में लैगिंग असमानता को दूर करना, सामाजिक असमानता को दूर करना, कन्या शिशु को परिवार में सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना, संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करना, उन्हें उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करना है।

2– <u>लाभार्थी वर्ग एवं देय लाभ</u>:– इसके अन्तर्गत निम्न लाभ प्रदान किये जायेगे :–

क्र.स.	लाभार्थी वर्ग	धनराशि
1	कन्या शिशु के जन्म पर	रू0 11,000 / –
2	बालिका के कक्षा 12 उत्तीर्ण कर स्नातक / डिप्लोमा में प्रवेश एवं अविवाहित होने पर	रू0 51,000 / –

इस योजना का लाभ एक परिवार की **02 जीवित बालिकाओं** को ही दिया जायेगा, किन्तु उक्त तालिका के कमांक 2 पर अंकित लाभ उत्तराखण्ड राज्य में स्थापित बालिका निकेतन, नारी निकेतन, अनाथ आश्रम, उत्तराखण्ड राज्य सरकार द्वारा सहायतित अन्य गृहों में निवासरत बालिकाओं को भी कक्षा 12 वीं उत्तीर्ण होने के उपरान्त स्नातक/डिप्लोमा में प्रवेश करने पर प्रदान किया जायेगा, इसके लिये परिवार की 02 जीवित बालिकाओ को ही लाभान्वित किये जाने वाले प्राविधान में छूट होगी।

3– <u>अर्हतायें</u>–

(क) कन्या शिशु के जन्म पर मिलने वाले लाभ हेतु आवश्यक अर्हताये : –

1) कन्या शिशु के माता–पिता उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासी होने चाहिये।

2) कन्या शिशु के परिवार की मासिक आय रू0 6000.00 तक होनी आवश्यक है, इसके लिये मानक सीमा के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। आय सम्बन्धी प्रमाण पत्र केवल तहसीलदार द्वारा जारी ही मान्य होगा अन्य कोई प्रमाण पत्र मान्य नही होगा। आय प्रमाण पत्र की वैधता 01 वर्ष तक मान्य होगी।

3) कन्या शिशु का जन्म सरकारी अस्पताल/निजी अस्पताल/ए0एन0एम0 सेन्टर तथा ग्रामीण क्षेत्र जहां अस्पताल की सुविधा उपलब्ध नही है, पर प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी द्वारा ही होना चाहिए। सरकारी अस्पताल/निजी अस्पताल अन्य प्रदेशों के भी मान्य होंगें। बालिका के जन्म के प्रमाण पत्र के साथ संस्थागत प्रसव के प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। **शहरी क्षेत्रों/ग्रामीण क्षेत्रों में जिनका प्रसव उपरोक्त संस्थाओं में नही हुआ है, के संबंध में संबंधित नगर निकाय / VPDO/ADOपंचायत द्वारा प्रदत्त जन्म प्रमाण पत्र मान्य होगा।**

4) माता एवं पिता का पैन कार्ड (PAN CARD) एवं आधार कार्ड (ADHAAR CARD) की छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। यदि पैन कार्ड आवेदन के समय उपलब्ध नहीं है तो पैन कार्ड (PAN CARD)जारी करने हेतु किये गये आवेदन के कम में जारी रसीद/acknowledgement प्रस्तुत किये जा सकते है, जो मान्य होंगे।

5) कन्या शिशु के जन्म से पूर्व गर्भावस्था के दौरान उसकी माता का आंगनवाडी केन्द्र में पंजीकरण होना चाहिये, इस हेतु सम्बन्धित क्षेत्र की आंगनवाडी कार्यकत्री/मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

6) कन्या शिशु के जन्म का प्रमाण पत्र।

7) सम्बन्धित क्षेत्र की आंगनबाड़ी कार्यकर्ती/मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा

जारी दो बालिकाओं के प्राविधान के अधीन लाभान्वित होने की अर्हता पूर्ण करने का प्रमाण पत्र।

(ख) कक्षा 12 उत्तीर्ण कर स्नातक/डिप्लोमा में प्रवेश करने तथा अविवाहित रहने पर मिलने वाले लाभ हेतु आवश्यक अर्हतायें (उत्तराखण्ड राज्य में स्थापित बालिका निकेतन, नारी निकेतन, अनाथ आश्रम, उत्तराखण्ड राज्य सरकार द्वारा सहायतित अन्य गृहों में पलने वाली बालिकाओं को छोड़कर):–

1) बालिका के माता–पिता उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासी होने चाहिये।

2) बालिका के परिवार की मासिक आय रू0 6000.00 तक होनी आवश्यक है, इसके लिये मानक सीमा के अन्तर्गत सक्षम प्रधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। आय सम्बन्धी प्रमाण पत्र केवल तहसीलदार द्वारा जारी ही मान्य होगा अन्य कोई प्रमाण पत्र मान्य नही होगा। आय प्रमाण पत्र की वैधता 01 वर्ष तक मान्य होगी।

3) बालिका का नाम राशन कार्ड में अंकित होना आवश्यक होगा। उक्त के साथ परिवार रजिस्ट्रर की कॉपी माता/पिता का पैन कार्ड, बैंक डिटेल, अभ्यर्थी द्वारा यह घोषणा की जाएगी कि यदि मेरे द्वारा कोई गलत सूचना आवेदन पत्र में अंकित की जाती है, तो मेरे विरूद्ध विभाग द्वारा विधिक कार्यवाही की जा सकेगी।

4) बालिका का पैन कार्ड (PAN CARD) एवं आधार कार्ड (ADHAAR CARD) की छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। यदि पैन कार्ड आवेदन के समय उपलब्ध नहीं है तो पैन कार्ड (PAN CARD)जारी करने हेतु किये गये आवेदन के कम में जारी रसीद/Acknowledgement प्रस्तुत किये जा सकते है, जो मान्य होंगे।

5) बालिका को उत्तराखण्ड/अन्य राज्यों के केन्द्रीय/राजकीय विद्यालयों एवं निजी विद्यालयों (निजी विद्यालयों में आर0टी0ई0 (R.T.E) के अंतर्गत पंजीकृत) में राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, सी0बी0एस0ई0, आई0सी0एस0ई0सी0 बोर्ड, राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय संस्थान, नई दिल्ली (NIOS) में कक्षा 12वी उत्तीर्ण होने के साथ ही राजकीय मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से स्नातक अथवा राजकीय मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में कम से कम 01 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश लेना आवश्यक है। इसके लिये सम्बन्धित संस्थान में प्रवेश होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(ग) उत्तराखण्ड राज्य में स्थापित बालिका निकेतन, नारी निकेतन, अनाथ आश्रम, उत्तराखण्ड राज्य सरकार द्वारा सहायतित अन्य गृहों में निवासरत कक्षा 12 वीं उत्तीर्ण कर स्नातक/डिप्लोमा में प्रवेश करने तथा अविवाहित रहने पर बालिकाओं

को मिलने वाले लाभ हेतु आवश्यक अर्हतायेः–

1) बालिका को उत्तराखण्ड/अन्य राज्यों के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, सी0बी0एस0ई0, आई0सी0एस0ई0सी0 बोर्ड, राष्ट्रीयमुक्त विश्वविद्यालय संस्थान, नई दिल्ली (NIOS) से कक्षा 12वी उत्तीर्ण होने के साथ ही राजकीय मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से स्नातक अथवा राजकीय मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में कम से कम 01 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश लेना आवश्यक है। इसके लिये सम्बन्धित संस्थान में प्रवेश होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

2) बालिका निकेतन, नारी निकेतन, अनाथ आश्रम, उत्तराखण्ड राज्य द्वारा सहायतित अन्य गृहों में रहने वाली बालिकाओं को कक्षा 12 वीं उत्तीर्ण कर स्नातक/डिप्लोमा में प्रवेश करने तथा अविवाहित रहने का प्रमाण पत्र संबंधित संस्था की अध्यक्षिका अथवा संस्था संचालक द्वारा दिया जाना अनिवार्य होगा।

3) बालिका का आधार कार्ड (ADHAAR CARD) की छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

4– <u>चयन समिति</u> : नन्दा गौरा योजना के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों के कम में पात्र लाभार्थियों के चयन हेतु निम्नानुसार चयन समिति का गठन प्रस्तावित है :–

01–मुख्य विकास अधिकारी	अध्यक्ष
02–जिला कार्यक्रम अधिकारी	सदस्य–सचिव
03–जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी /सहायक कोषाधिकारी (जैसे भी स्थिति हो)	सदस्य
04–जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)	सदस्य
05–मुख्य चिकित्साधिकारी (या उनके द्वारा नामित अपर/उप मुख्य चिकित्साधिकारी)	सदस्य
06–सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी	सदस्य

5– <u>आवेदन करने की प्रक्रियाः–</u> इस योजना में जन्म के समय प्राप्त होने वाले लाभ के लिए बालिका के माता पिता को बालिका के जन्म के 06 महीने के अन्दर तथा 12 वीं उत्तीर्ण करने व स्नातक/डिप्लोमा में प्रवेश करने वाले लाभार्थी को प्रत्येक वर्ष के 30 नवम्बर तक निर्धारित प्रारूप पर पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र समस्त प्रमाण पत्र सहित सम्बन्धित विकास खण्ड के बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इस योजना के आवेदन पत्र समस्त आंगनवाडी केन्द्रों/मिनी केन्द्रों तथा समस्त बाल विकास परियोजना कार्यालयों में निःशुल्क उपलब्ध होगें। आवेदन जमा करने वाले लाभार्थी को

सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय द्वारा प्राप्ति रसीद अवश्य दी जायेगी। बाल विकास परियोजना कार्यालय में नन्दा गौरा योजना की अलग से पंजिका बनायी जायेगी, जिसमें समस्त प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों का तिथि अनुसार क्रमवार अंकन किया जायेगा। पंजिका की क्रम संख्या का अंकन लाभार्थी को दी जाने वाली रसीद में भी अंकित करना होगा। प्राप्त समस्त आवेदन पत्रों का सत्यापन बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा किया जायेगा तथा इस आशय का प्रमाण पत्र आवेदन पत्रों के साथ गठित चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा। बजट की प्रत्याशा में **''पहले आओ पहले पाओ''** के अन्तर्गत लाभार्थियों को लाभ दिया जायेगा।

इस योजना के अन्तर्गत ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी निर्धारित की जा रही है इसके लिये निदेशक, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, उत्तराखण्ड द्वारा अलग से आवेदन करने की प्रक्रिया निर्धारित की जायेगी। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया प्रारम्भ होने पर ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया स्वतः निरस्त हो जायेगी।

नोटः— आवेदन का प्रारूप पृथक से निर्गत किया जायेगा।

6— <u>लाभ दिये जाने की प्रक्रिया</u> :— मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा स्वीकृत किये गये आवेदन पत्रो का विवरण निर्धारित प्रारूप पर एक्सल शीट निदेशालय को उपलब्ध करवाया जायेगा। निदेशालय द्वारा सम्बन्धित लाभार्थी के बैंक एकाउन्ट में डी0बी0टी0 के माध्यम से धनराशि हस्तान्तरित की जायेगी। धनराशि हस्तान्तरण का विवरण समस्त जनपदों को भी उपलब्ध करवाया जायेगा।

7— <u>अन्य प्राविधान :—</u>

(क) शासनादेश जारी होने की तिथि से योजना का लाभ अनुमन्य होगा। किन्तु जारी होने की तिथि से 6 माह पूर्व जन्मी बालिकायें यदि पूर्व प्रचलित शासनादेश के अधीन लाभ प्राप्त करने से वंचित रह गयी हैं अथवा आवेदन करने से वंचित रह गयी हैं वह बालिकायें भी इस शासनादेश के अधीन आवेदन/लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र होंगी।

(ख) बालिका के जन्म पर मिलने वाला लाभ राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक में बालिका एवं माता के संयुक्त खाते अथवा माता के खाते (माता के जीवित न रहने की स्थिति में पिता के खाते एवं माता पिता दोनो के जीवित न रहने की स्थिति में बालिका के संरक्षक के खाते) में ही देय होगा। यह खाता आधार नम्बर से लिंक होना अनिवार्य होगा। कक्षा 12 वीं उत्तीर्ण (अविवाहित) बालिका/लाभार्थी का स्वंय का खाता आधार से लिंक होना अनिवार्य होगा।उक्त लाभार्थियों को अपने आवेदन के साथ बैंक पास बुक की छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करनी अनिवार्य होगी।

(ग) जन्म के समय वाली लाभार्थियों को 11,000/—की धनराशि, बालिका के

जन्म लेने के 06 माह के अन्तर्गत आवेदन करने के उपरान्त बालिका एवं माता के संयुक्त खाते अथवा माता के खाते (माता के जीवित न रहने की स्थिति में पिता के खाते एवं माता पिता दोनो के जीवित न रहने की स्थिति में बालिका के संरक्षक के खाते) में ई–पेमेन्ट के द्वारा भेजी जायेगी।

(घ) कक्षा 12 वीं उत्तीर्ण वाली श्रेणी की लाभार्थियों को 51,000/– की धनराशि, बालिका/लाभार्थी के बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अन्तरण (डी0बी0टी0) के माध्यम से हस्तान्तरित की जायेगी।

(ड.) किसी वर्ष में निर्धारित समयावधि तक प्राप्त समस्त आवदनो को उसी वर्ष में चयन समिति द्वारा स्वीकृत करा लिया जाये तथा यह प्रयास किया जाये कि उसी वर्ष पात्र लाभार्थियो को धनराशि प्राप्त हो सके, यदि किसी कारणवश जैसे बजट का अभाव आदि से उस वर्ष लाभार्थी को लाभ प्राप्त नहीं होता है तो सम्बन्धित लाभार्थी आगामी वर्ष में प्राथमिकता के आधार पर लाभान्वित किये जायेंगे, **तथापि** यह प्रयास किया जाये कि एक वर्ष के लाभार्थी अगले वर्ष अग्रसारित न हो।

8– <u>अभिलेखीकरण :</u>

ऑफलाइन मोड पर किये गये आवेदनो हेतु प्रत्येक परियोजना स्तर पर एक पंजिका बनाई जायेगी जिसमें विभिन्न श्रेणी की लाभार्थी हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों को अंकन किया जायेगा। आवेदन जमा करने वाले अभ्यर्थी या उनके अभिभावक आदि को प्राप्ति रसीद अवश्य दी जायेगी जिनमें आवेदन पंजिका में दर्ज कमांक का विवरण अवश्य अंकित किया जायेगा। योजनान्तर्गत लाभान्वित किये जा चुके लाभार्थियों का विवरण भी संरक्षित रखा जायेगा। जिन लाभार्थियों को किसी तकनीकी कारण धनराशि खाते में नहीं पहुंच पाई है, उसका तुरन्त निराकरण करवाया जायेगा। ऑनलाइन किये जाने वाले आवेदन पत्रों के रख रखाव हेतु निदेशक, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा अलग से निर्देश दिये जायेंगे।

तद्नुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करते हुए उपर्युक्त उल्लिखित दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय
Signed by Hari Chandra Semwal
(हरि चन्द्र सेमवाल)
सचिव
Date: 04-08-2023 19:59:12

संख्या–144121 (1)/XVII/2023-2(02)/2009 TC तद्दिनांकित

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्ययक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मा0 विभागीय मंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

5. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. निजी सचिव, सचिव/अपर सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. उप सचिव/अनु सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. मण्डलायुक्त, कुमाऊँ एवं गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
9. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड देहरादून।
12. मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड देहरादून।
13. समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी, उत्तराखण्ड।
14. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
15. गार्ड फाईल।

(हरि चन्द्र सेमवाल)
सचिव।

संख्याः 181195 /XVII(4)/2024-02(02)2009-TC-23148

प्रेषक,

हरि चन्द्र सेमवाल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग,
उत्तराखण्ड देहरादून।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अनुभाग–1, देहरादूनः दिनांक 10 जनवरी, 2024

विषयः–"नन्दा गौरा योजना" के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 के आवेदन–पत्रों के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्रांक संख्या–सी–3942/न0गौ0योजना–6033/भुगतान/2023–24 दिनांक 08.01.2024 में किये गये अनुरोध के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नन्दा गौरा योजना के क्रियान्वयन हेतु पूर्व में निर्गत शासनादेश सं0–144121/**XVII(4)/2023-02-(02)/2009TC** दिनांक 07 अगस्त, 2023 के प्रस्तर–3(ख) के बिन्दु सं0–5 में निम्न तालिका के कॉलम–2 में उल्लिखित प्राविधान को कॉलम–3 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार संशोधित पढ़ा व समझा जायेः–

क0सं0	वर्तमान प्राविधान	संशेधित प्राविधान का प्रस्ताव
1	2	3
शासनादेश सं0–144121 दिनांक 07.08.2023 के प्रस्तर–3(ख) के बिन्दु सं0–5 में संशोधन किया जाना है।	बालिका को उत्तराखण्ड/अन्य राज्यों के केन्द्रीय/राजकीय विद्यालयों एवं निजी विद्यालयों (निजी विद्यालयों में आर0टी0ई0 (R.T.E.)के अन्तर्गत पंजीकृत) में राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, सी0बी0एस0ई0, आई0सी0एस0ई0 सी0 बोर्ड, राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय संस्थान, नई दिल्ली (NIOS) में कक्षा 12वीं उत्तीर्ण होने के साथ ही राजकीय मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से स्नातक अथवा राजकीय मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में कम से कम 01 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश लेना आवश्यक है। इसके लिये सम्बन्धित संस्थान में प्रवेश होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।	पात्र बलिकाओ को निम्नलिखित बोर्ड/विद्यालयों से कक्षा 12वीं उत्तीर्ण होने के साथ–साथ राजकीय मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से स्नातक अथवा राजकीय मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से कम से कम 1 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश लेना आवश्यक होगा :– 1. - बालिका ने शासकीय विद्यालय अथवा शासकीय सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालय अथवा उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर से संबद्ध वित्त विहिन निजी विद्यालय से संस्थागत/व्यक्तिगत रूप से 12वीं उत्तीर्ण की हो। इसमें शासकीय विद्यालयों से तात्पर्य–उत्तराखण्ड राज्य बोर्ड/ केन्द्रीय विद्यालय/सी0बी0एस0सी0 बोर्ड/आई0सी0एस0सी0 बोर्ड/राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय संस्थान, नई

			दिल्ली(NIOS), बोर्ड, अन्य राज्यों के बोर्ड के शासकीय विद्यालयों से है। 2. - निजी विद्यालयों (ICSE/CBSE) की ऐसी 12वीं उत्तीर्ण पात्र बालिकायें भी आवेदन हेतु अर्ह होंगी, जिनको उस निजी विद्यालय में कक्षा 8 तक के लिये आर0टी0ई0 (R.T.E.) के अन्तर्गत प्रवेश दिया गया है। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा जारी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। उक्त प्राविधान के साक्ष्य के रुप में बालिकाओं को 12वीं उत्तीर्ण की अंकतालिका/सर्टिफिकेट के साथ–साथ स्नाताक/डिप्लोमा में प्रवेश करने के साक्ष्य के रूप में सम्बन्धित संस्थान द्वारा जारी प्रमाण पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

2.– "नन्दा गौरा योजना" का लाभ पात्र लाभार्थियों को दिये जाने हेतु 12वीं उत्तीर्ण बालिकाओं के आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 31.01.2024 तक कार्यहित/जनहित में विस्तारित की जाती है।

3– इस सम्बन्ध में शासन द्वारा पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या–144121 दिनांक 07.08.2023 को इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा। शेष शर्ते/नियम यथावत् प्रभावी होगें।

भवदीय

Signed by Hari Chandra Semwal
Date: 10-01-2024 14:05:30

(हरि चन्द्र सेमवाल)
सचिव।

संख्या–181195 (1)/ /XVII(4)/2024-02(02)2009-TC-23148 तद्दिनांकित

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. महालेखाकार, उत्तराखण्ड ओबरॉय बिल्डिंग, देहरादून।
6. मण्डलायुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमायू मण्डल, नैनीताल।
7. समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं उत्तराखण्ड देहरादून।
10. समस्त महाप्रबन्धक/प्रबन्धक, बैंकिग सेवायें, उत्तराखण्ड।
11. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड।
12. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
13. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।

14. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
15. समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी, आई0सी0डी0एस0, उत्तराखण्ड।
16. एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
18. गार्ड फाईल।

(हरि चन्द्र सेमवाल)
सचिव।

-

संख्याः 184948 /XVII(4)/2024-02(02)/2009-TC-17263

प्रेषक,

हरि चन्द्र सेमवाल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अनुभाग–1, देहरादूनः दिनांक 25 जनवरी, 2024

विषय– "नन्दा गौरा योजना" के संचालन हेतु निर्गत सामान्य दिशा–निर्देशों में संशोधन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1331/नन्दा गौरा यो0–6033/2023–24 दिनांक 15.07.2023 में किये गये अनुरोध के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–144121/XVII(4)/2023-02/2009-TC-17263 दिनांक 07.08.2023 के प्रस्तर–04 में उल्लिखित चयन समिति में **"जनपद–स्तरीय समिति आय प्रमाण–पत्र सहित संलग्न प्रारूप में दिये गये विवरण के आधार पर पात्र लाभार्थी की अर्हता का निर्धारण करेगी, यदि समिति को प्रतीत होता है कि लाभार्थी द्वारा प्रस्तुत आय प्रमाण–पत्र उसके द्वारा प्रारूप में दिये गये विवरण के समतुल्य नही है अर्थात उस परिवार की आय की स्थिति का आंकलन आय प्रमाण–पत्र में दी गई आय एवं प्रारूप में दिये गये विवरण से भिन्नता प्रतीत होती है तो समिति लाभार्थी की पात्रता के संबंध में निर्णय करने हेतु स्वतंत्र होगी"** को उक्त शासनादेश के प्रस्तर–04 में सम्मिलित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2– इस संबंध में पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या–144121/XVII(4)/2023-02/2009-TC-17263 दिनांक 07.08.2023 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय, शेष शर्ते यथावत रहेगीं।

3– नंदा गौरा योजना के लाभ हेतु संलग्न **प्रारूप–01** (जन्म पर), **प्रारूप–02** (12वीं उत्तीर्ण के लाभ हेतु) एवं **प्रारूप–03** (उत्तराखण्ड राज्य में स्थापित बालिका निकेतन, नारी निकेतन, अनाथ आश्रम, उत्तराखण्ड राज्य सरकार द्वारा सहायतित अन्य गृहों में पलने वाली 12वीं उत्तीर्ण बालिका) पर आवेदन प्राप्त किये जाए।

तद्नुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करते हुए उपर्युक्त उल्लिखित दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

Signed by Hari Chandra Semwal
Date: 25-01-2024 13:27:40

भवदीय,

(हरि चन्द्र सेमवाल)
सचिव।

संख्या– 184948(1)/XVII/2024-2(02)/2009 TC-17263 तद्दिनांकित

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मा0 विभागीय मंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. निजी सचिव, सचिव/अपर सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. उप सचिव/अनु सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. मण्डलायुक्त, कुमाऊँ एवं गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
9. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड देहरादून।
12. मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड देहरादून।
13. समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी, उत्तराखण्ड।
14. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
15. गार्ड फाईल।

(हरि चन्द्र सेमवाल)
सचिव।

नन्दा गौरा योजना का प्रारूप

(महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग उत्तराखण्ड)

प्रारूप–01

जन्म के लाभ प्राप्त करने हेतु आवदेन पत्र

1. - कन्या शिशु का नाम :–..............................(कन्या का नाम परिवर्तित होने पर शपथ पत्र देना अनिवार्य है)
2. - पिता का नाम :– श्री...
3. - माता का नाम :– श्रीमती...
4. - माता–पिता के जीवित न होने की स्थिति में अभिभावक का नाम:..
5. - कन्या शिशु का स्थाई निवास (ग्राम / वार्ड) :–..
6. - परिवार के सदस्यों का विवरण :–...

क्र0सं0	सदस्यों का नाम	कन्या से सम्बन्ध	व्यवसाय / शिक्षा	आधार कार्ड नम्बर	मोबाईल नम्बर

7 - परिवार के अध्ययनरत सदस्यों (भाई–बहनों) का विवरण :–

क्र0सं0	सदस्यों का नाम	स्कूल / कालेज का नाम जहॉं अध्ययनरत हैं।	स्कूल / कालेज की कुल वार्षिक फीस

8. - कन्या की जन्म तिथि – दिनॉंक .... .माह .... वर्ष ....
9. - जन्म पंजीकरण संख्या :–..
10. - प्रसव कहॉं करवाया गया :–.. (प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र / उपकेन्द्र / अन्य चिकित्सालय / प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी द्वारा / शहरी क्षेत्रों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जिनका प्रसव संस्थागत नही हुआ है, के संबंध में संबंधित नगर निकाय / VPDO/ADO/ पंचायत द्वारा प्रदत्त जन्म प्रमाण पत्र)
11. - पिता का व्यवसाय / कार्य का विवरण:– (सरकारी सेवा / निजी क्षेत्र में सेवा / कृषि कार्य / स्वयं का व्यवसाय / अन्य कार्य का विवरण) :– ....

    11.(1) ग्रामीण क्षेत्र की दशा में मनरेगा जॉब कार्ड नम्बर..............विगत 03 वर्षो में प्राप्त रोजगार दिवसों की संख्या...............
12. - माता का व्यवसाय:– (सरकारी सेवा / निजी क्षेत्र में सेवा / कृषि कार्य / स्वयं का

व्यवसाय / गृहणी / अन्य कार्य का विवरण) :– ....

12.(1) ग्रामीण क्षेत्र की दशा में मनरेगा जॉब कार्ड नम्बर..............विगत 03 वर्षो में प्राप्त रोजगार दिवसों की संख्या ....

13. - माता–पिता के जीवित न होने की स्थिति में अभिभावक का व्यवसाय / कार्य का विवरण (सरकारी सेवा / निजी क्षेत्र में सेवा / कृषि कार्य / स्वयं का व्यवसाय / अन्य कार्य का विवरण) :–...........................

13.(1) ग्रामीण क्षेत्र की दशा में मनरेगा जॉब कार्ड नम्बर..............विगत 03 वर्षो में प्राप्त रोजगार दिवसों की संख्या ....

14. - कन्या शिशु के परिवार की वार्षिक आय (आय प्रमाण पत्र के आधार पर) रू0....................... ....सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र का क्रमांक :...................................दिनाँक.... ....

15. - माता पिता के जीवित न हाने की स्थिति में अभिभावक के परिवार की वार्षिक आय (आय प्रमाण पत्र के आधार पर) रू0..............................सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र का क्रमांक :..............दिनांक..

16. - माता एवं पिता का पैन कार्ड नम्बरः–   पिता का पैन कार्ड................................माता का पैन कार्ड............

17. - माता पिता के जीवित न होने की स्थिति में अभिभावक का पैन कार्ड नम्बर......................... ....

18. - माता / पिता अथवा अभिभावक(माता पिता के जीवित न होने की स्थिति में अभिभावक) की चल–अचल सम्पत्ति का विवरण–

<u>अचल सम्पत्ति का विवरण–</u>

<u>बालिका के परिवार के पास उपलब्ध भूमि का प्रकार(रजिस्ट्री / पट्टे की भूमि)–</u> ....

<u>बालिका के परिवार के पास उपलब्ध आवासीय भूमि का प्रकार(रजिस्ट्री / पट्टे / किराया)–</u>........................

<u>बालिका के परिवार के पास उपलब्ध कुल कृषि / आवासीय भूमि का क्षेत्रफल–</u> ....अनुमानित वर्तमान मूल्य.................. (अभिलेखों की प्रति संलग्न करें)

<u>आवास का विवरण–</u>कच्चा / पक्का..............कक्षों की संख्या......एरिया...............अनुमानित वर्तमान मूल्य.......................

(नगरीय / ग्रामीण स्थानीय निकाय द्वारा दिया गया गृह कर का विवरण की प्रतिलिपि संलग्न करें)

नोट–यदि आवेदक उत्तराखण्ड के किसी अन्य जनपद से हो तो वहाँ की भी समस्त अचल सम्मपत्ति का पूर्ण विवरण।

<u>चल सम्पत्ति का विवरण–</u>

परिवार के समस्त सदस्यों के बैक खातों का विवरण–

क्र0सं0	सदस्यों का नाम	बैंक का नाम	खाता संख्या	कुल जमा धनराशि (विगत एक वर्ष में)

(अभिलेख की प्रति संलग्न करें–बैंक पासबुक की प्रति/विगत 01 वर्ष के बैंक स्टेटमैन्ट की प्रति)

परिवार के समस्त वाहन का विवरण–

वाहन का प्रकार	रजिस्ट्रेशन नम्बर	अनुमानित मूल्य	अन्य विवरण(सदस्य का नाम जिसके नाम से वाहन पंजीकृत है)

19. - सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना में परिवार की स्थिति का विवरण (स्वतः सम्मिलित/सम्मिलित नही) ....(प्रमाण–पत्र संलग्न करें)
20. - परिवार की अन्य बालिकाओं का विवरण जिनके द्वारा पूर्व में जन्म होने पर योजना का लाभ लिया गया है–

बालिका का नाम	बालिका की आयु	बालिका का आधार नम्बर	लाभ प्राप्त करने का वर्ष

21. - माता/पिता/संरक्षक एवं कन्या शिशु का संयुक्त खाता संख्या.. बैंक का नाम एवं शाखा.. आई.एफ.एस.सी. कोड.....................................

मैं, प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा **"नन्दा गौरा योजना"** के तहत समयान्तर्गत आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है। आवेदन पत्र में दी गयी समस्त सूचनाएं पूर्णतया सही हैं तथा भविष्य में होने वाली किसी भी त्रुटिपूर्ण सूचना हेतु मैं व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार रहूँगा/रहूँगी। **"नन्दा गौरा योजना"** के कन्या शिशु का लाभ (जन्म वाला लाभ) प्राप्त करने वाली यह मेरी प्रथम/द्वितीय (सही पर टीक करें) बालिका है। उक्त बालिका हेतु योजना के लाभ हेतु मेरे द्वारा प्रथमबार आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

उपरोक्त सूचनाएँ गलत/झूठी पाये जाने पर विभाग द्वारा भारतीय दण्ड विधान की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत आपराधिक वाद दायर किया जा सकता है।

हस्ताक्षर

अभिभावक का नाम ....

दिनाँक :– ....

मोबाइल न0 –...

आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले प्रमाणित अभिलेखों की प्रति का विवरण (जो लागू हों) –

1. - *स्थाई निवास प्रमाण पत्र*	2. - *परिवार रजिस्टर की नकल*
3. - *राशन कार्ड की प्रति।*	4. - *संस्थागत प्रसव का प्रमाण पत्र*
5. - *जन्म पंजीकरण का प्रमाण पत्र*	6. - *आय प्रमाण पत्र*

7. - *माता एवं पिता/सरंक्षक के आधार कार्ड*	8. - *नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत/ग्राम पंचायत द्वारा लिया जाने वाला मकान सम्पत्ति कर (प्रतिलिपि प्रस्तुत करें)*
9. - *माता एवं पिता/सरंक्षक का पैन कार्ड*	10. - *आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र*
11. - *मातृशिशु प्रतिरक्षण/एम0सी0पी0 (टीकाकरण) कार्ड*	12. - *माता/पिता/संरक्षक की पासबुक/चैक स्टेटमेन्ट की छायाप्रति जहाँ पर खाता संख्या अंकित हो।*
सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना (SECC) में परिवार की स्थिति के आंकलन की प्रति।	13. - *शासनादेशानुसार योजना का लाभ केवल 02 बालिकाओं हेतु ही अनुमन्य है इसलिये आवेदित बालिका के परिवार की अन्य बालिकाओं को पूर्व में जन्म होने पर योजना का लाभ दिये जाने/न दिये जाने विषयक शपथ–पत्र।*
14. - *अन्य आवश्यक अभिलेख–बिजली एवं पानी बिलों की प्रति आदि।*	*15. मनरेगा जॉब कार्ड*

नोट–माता/पिता दोनों के जीवित नही होने की स्थिति में कन्या शिशु के वैद्य सरंक्षक के अभिलेख मान्य होंगे।

:: आंगनबाडी कार्यकत्री द्वारा दिया जाने वाला प्रमाण पत्र ::

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती ....पत्नी श्री.................... ....निवासी...को मेरे आँगनबाड़ी केन्द्र... ....पर ....माह की गर्भवती के रूप में दिनाँक .... पंजीकृत किया गया है, जिसकी पंजीकरण संख्या.................................है। इन्हें आंगनबाड़ी केन्द्र पर मिलने वाले समस्त लाभ यथा टीकाकरण, अनुपूरक पोषाहार, सन्दर्भ सेवायें प्रदान की जा रही हैं। इनके द्वारा दिनाँक ....को कन्या शिशु को जन्म दिया है। यह इनकी **"नन्दा गौरा योजना"** के लाभ प्राप्त करने वाली प्रथम/द्वितीय बालिका (सही पर टिक करें) है। उक्त बालिका योजना के लाभ हेतु इनके द्वारा प्रथमबार आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

उक्त के अतिरिक्त मेरे द्वारा सम्बन्धित अभिभावक/संरक्षक की चल–अचल सम्पत्ति का परिवार के विगत 03 बार के बिजली के बिलों एवं परिवार के विगत 01 बार के पानी के बिल का विवरण सहित स्थलीय निरीक्षण किया गया है जिसके अनुसार सम्बन्धित का घर................(कच्चा/पक्का) है जिसके भूखण्ड का क्षेत्रफल..है। जिसमें.. ....कक्ष हैं तथा घर पर ....दुपहिया..............................चौपहिया............................ वाहन हैं।

दिनाँक...
हस्ताक्षर...
आँगनवाड़ी कार्यकत्री/मिनी कार्यकत्री/सहायिका का नाम ....
आँगनवाड़ी केन्द्र का नाम –..
मोबाइल न0 –..

सुपरवाईजर की संस्तुति

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा आँगनवाड़ी केन्द्र.. की पंजीकरण पंजिका से लाभार्थी की/समस्त सूचनाओं का मिलान कर लिया गया है। आवेदन पत्र संस्तुति सहित अग्रसारित।

दिनांक.. हस्ताक्षर..

सुपरवाईजर का नाम ....

सैक्टर–...

परियोजना–...

क्षेत्र का नाम –..

मोबाइल न0 –..

बाल विकास परियोजना अधिकारी की जॉच आख्या

प्रमाणित किया जाता है कि कुमारी... पुत्री श्री.............
.................................पता ....के द्वारा प्रस्तुत आवेदन –पत्र व जॉच की गई।

आवेदक द्वारा वर्णित मकान/भू–सम्पत्ति/बैंक विवरण आदि के परीक्षण उपरान्त आवेदक पात्रता की श्रेणी में आता है। अतः **"नन्दा गौरा योजना"** के अन्तर्गत इनको लाभान्वित किये जाने की संस्तुति की जाती है। जिसका अंकन **"नन्दा गौरा योजना"** की पंजिका के पृष्ठ संख्या .... पर अंकित कर लिया गया है।

या

जांच उपरान्त आवेदन पत्र पात्रता की श्रेणी में नहीं आता है। अतः **"नन्दा गौरा योजना"** के अन्तर्गत इनको लाभान्वित नहीं किया जा सकता है।

लाभान्वित न किये जाने के कारण..

दिनांक..

हस्ताक्षर...

बाल विकास परियोजना अधिकारी का नाम ....

क्षेत्र का नाम –..

मोबाइल न0 –..

प्रारूप–02

कक्षा 12वी उत्तीर्ण छात्राओं के लिए

लाभार्थी का नवीनतम
पासपोर्ट साईज फोटो

1. - छात्रा का नाम :– ....
2. - छात्रा की जन्म तिथिः– ....वर्तमान आयु..............................
3. - पिता का नाम :– श्री...
4. - माता का नाम :– श्रीमती..
5. - आवेदक छात्रा सहित छात्रा के अन्य भाई/बहनों का विवरण :–

क्र0 सं0	सदस्य का नाम	आयु	आवेदक से संबंध	शैक्षिक अर्हता का विवरण				यदि वर्तमान में
				10th तक के	12th के	स्नातक के	स्नातकोत्तर	

				विद्यालय का नाम	विद्यालय का नाम	कॉलेज का नाम	के कॉलेज का नाम	नहीं पढ़ रहे हैं, तो क्या कर रहे है। (पूर्ण विवरण)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

6. - परिवार के अध्ययनरत सदस्यों (भाई—बहनों) का विवरण :—

क्र0सं0	सदस्यों का नाम	स्कूल / कालेज का नाम जहाँ अध्ययनरत हैं।	स्कूल / कालेज की कुल वार्षिक फीस

7. - पिता का व्यवसाय / कार्य का विवरणः— (सरकारी सेवा / निजी क्षेत्र में सेवा / कृषि कार्य / स्वयं का व्यवसाय / अन्य कार्य का विवरण) :— ....

   7(1) ग्रामीण क्षेत्र की दशा में मनरेगा जॉब कार्ड नम्बर..............विगत 03 वर्षो में प्राप्त रोजगार दिवसों की संख्या.................

8. - माता का व्यवसायः—(सरकारी सेवा / निजी क्षेत्र में सेवा / कृषि कार्य / स्वयं का व्यवसाय / गृहणी / अन्य कार्य का विवरण) :— ....

   8(1) ग्रामीण क्षेत्र की दशा में मनरेगा जॉब कार्ड नम्बर..............विगत 03 वर्षो में प्राप्त रोजगार दिवसों की संख्या ....

9. - माता पिता के जीवित न होने की स्थिति में अविभावक का नाम.. ....

10. - माता—पिता के जीवित न होने की स्थिति में अभिभावक का व्यवसाय / कार्य का विवरण (सरकारी सेवा / निजी क्षेत्र में सेवा / कृषि कार्य / स्वयं का व्यवसाय / अन्य कार्य का विवरण) :—.......................

    10(1) ग्रामीण क्षेत्र की दशा में मनरेगा जॉब कार्ड नम्बर..............विगत 03 वर्षो में प्राप्त रोजगार दिवसों की संख्या ....

11. - इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण करने का वर्ष.................................स्कूल का नाम.................................. .....

    बोर्ड का नाम..(प्रमाण—पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न करें)

    (अ) इण्टर उपरान्त उच्च शिक्षा हेतु प्रवेश का विवरणः ....(यदि प्रवेश लिया गया है, तो)

12. - (क) छात्रा का स्थाई पता ....
    ....

    (ख) पत्र व्यवहार का पता ....
    ....

    (ग) आधार से लिंक मोबाईल नं...

13. - बालिका के परिवार की वार्षिक आय (आय प्रमाण पत्र के आधार पर) रू0...........................

.सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र का क्रमांक :....................................दिनांक...........
....

14. - माता पिता के जीवित न हाने की स्थिति में अभिभावक के परिवार की वार्षिक आय (आय प्रमाण पत्र के आधार पर) रू0...............................सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र का क्रमांकः.................दिनाँक..

15. - माता एवं पिता का पैन कार्ड नम्बरः—पिता का पैन कार्ड.................................माता का पैन कार्ड............

16. - माता—पिता के जीवित न होने की स्थिति में अभिभावक का पैन कार्ड नम्बर.........................
....

17. - माता—पिता अथवा अभिभावक(माता पिता के जीवित न होने की स्थिति में अभिभावक) की चल—अचल सम्पत्ति का विवरण—

<u>अचल सम्पत्ति का विवरण—</u>

<u>बालिका के परिवार के पास उपलब्ध भूमि का प्रकार(रजिस्ट्री/पट्टे की भूमि)—</u> ....
....

<u>बालिका के परिवार के पास उपलब्ध आवासीय भूमि का प्रकार(रजिस्ट्री/पट्टे/किराया)—</u>..........................

<u>बालिका के परिवार के पास उपलब्ध कुल (कृषि/आवासीय) भूमि का क्षेत्रफल—</u> ....
.........अनुमानित वर्तमान मूल्य............................(अभिलेख संलग्न करें)

<u>आवास का विवरण—</u>कच्चा/पक्का..............कक्षों की संख्या........एरिया...............वर्तमान मूल्य
....

(नगरीय/ग्रामीण स्थानीय निकाय द्वारा दिया गया गृह कर का विवरण की प्रतिलिपि संलग्न करें)

नोट—यदि आवेदक उत्तराखण्ड के किसी अन्य जनपद से हो तो वहॉ की भी समस्त अचल सम्पत्ति का पूर्ण विवरण।

<u>चल सम्पत्ति का विवरण—</u>

परिवार के समस्त बैंक खातों का विवरण—

क्र0सं0	सदस्यों का नाम	बैंक का नाम	खाता संख्या	कुल जमा धनराशि (विगत एक वर्ष में)

(अभिलेख की प्रति संलग्न करें—बैंक पासबुक की प्रति/विगत 01 वर्ष के बैंक स्टेटमैन्ट की प्रति)

वाहन का विवरण—

वाहन का प्रकार	संख्या	अनुमानित मूल्य	सदस्य का नाम जिसके नाम से वाहन पंजीकृत हैं	अन्य विवरण

18. - सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना में परिवार की स्थिति का विवरण (स्वतः सम्मिलित / सम्मिलित नही) ....(प्रमाण–पत्र संलग्न करें)
19. - आवेदित बालिका के परिवार की अन्य बालिकाओं का विवरण जिनके द्वारा पूर्व में 12वीं उत्तीर्ण होने पर योजना का लाभ लिया गया है–

बालिका का नाम	बालिका की आयु	बालिका का आधार नम्बर	लाभ प्राप्त करने का वर्ष

20. - छात्रा का पैन नम्बर..
21. - छात्रा का आधार से लिंक खाता संख्या..बैंक का ना एवं शाखा... **IFSC** कोड...
22. - छात्रा अविवाहित है का स्वंय प्रमाणित प्रमाण–पत्रः–..
....

<u>माता / पिता / अभिभावक की घोषणा</u>

मैं, एतद्द्वारा घोषणा करता / करती हूं कि **"नन्दा गौरा योजना"** के 12वीं उत्तीर्ण का लाभ प्राप्त करने वाली यह मेरी प्रथम / द्वितीय (सही पर टीक करें) बालिका है। उक्त योजना के लाभ हेतु मेरे द्वारा प्रथमबार आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। तथा उपरोक्त बिन्दुओं पर दी गई जानकारी सत्य है। यदि इनमें कोई भी त्रुटि पाई जाती है, तो मेरी पुत्री का आवेदन–पत्र निरस्त कर दिया जाय। इसके लिए मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

उपरोक्त सूचनाएँ गलत / झूठी पाये जाने पर विभाग द्वारा भारतीय दण्ड विधान की सक्षम धाराओं में मेरे विरूद्ध आपराधिक वाद दायर किया जा सकता है।

हस्ताक्षर एवं नाम ....

दिनाँक :–.. पता–.......................................

<u>छात्रा की घोषणा</u>

मैं, घोषणा करती हूँ कि मेरे माता / पिता / अभिभावक द्वारा **"नन्दा गौरा योजना"** के लाभ हेतु प्रस्तुत समस्त सूचनाओं के आधार पर आवेदन किया जा रहा है।

दिनांक :– .... छात्रा के हस्ताक्षर

———————————————————————————————————————

आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले प्रमाणित अभिलेखों की प्रति का विवरण –

1. - बालिका का स्थाई निवास प्रमाण पत्र।
2. - आय प्रमाण पत्र।
3. - कक्षा 12वीं उत्तीर्ण का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र।
4. - जन्म तिथि प्रमाण पत्र अथवा हाईस्कूल का प्रमाण–पत्र।

5. - परिवार रजिस्टर की नकल।
6. - माता एवं पिता/अभिभावक तथा बालिका का आधार कार्ड।
7. - माता एवं पिता/अभिभावक तथा बालिका का पैन कार्ड।
8. - आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र।
9. - अविवाहित होने का प्रमाण–पत्र (स्वंय द्वारा प्रदत्त)
10. - शासनादेशानुसार योजना का लाभ 02 बालिकाओं हेतु ही अनुमन्य है इसलिये आवेदित बालिका के परिवार की अन्य बालिकाओं को पूर्व में 12वीं उर्त्तीण होने पर योजना का लाभ दिये जाने/न दिये जाने विषयक शपथ–पत्र।
11. - लाभार्थी बालिका के बैंक पासबुक की छाया प्रति।
12. - प्रधानाचार्य द्वारा कक्षा 12 उत्तीर्ण का निर्गत प्रमाण–पत्र।
13. - राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय/अन्य शिक्षण संस्थान से कक्षा 12 उत्तीर्ण करने वाली आवेदिका द्वारा स्वप्रमाणित अंक पत्र की छायाप्रति।
14. - उच्च शिक्षा में दाखिले के पूर्ण अभिलेखों की प्रति।
15. - अन्य आवश्यक अभिलेखों–यथा बिजली एवं पानी के बिलों की प्रति आदि।
16. - सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना (SECC)में परिवार की स्थिति के आंकलन की प्रति।

:: प्रधानाचार्य द्वारा अग्रसारण ::(केवल संस्थागत छात्रा के लिए)

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदिका सुश्री...पुत्री श्री................. .... के द्वारा वर्ष ....में कक्षा 12वी की परीक्षा संस्थागत छात्रा के रूप में उत्तीर्ण की गयी है।

दिनाँक – प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर

विद्यालय की मुहर – प्रधानाचार्य का नाम–

:: आंगनबाडी कार्यकत्री द्वारा दिया जाने वाला प्रमाण पत्र ::

प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री...पुत्री श्री..................... .... निवासी...का परिवार मेरे आंगन केन्द्र क्षेत्र के, सर्वे रजिस्टर के क्रमांक ....पर अंकित है। यह इनकी **"नन्दा गौरा योजना"** के लाभ प्राप्त करने वाली प्रथम/द्वितीय बालिका (सही पर टिक करें) है। उक्त योजना के लाभ हेतु इनके द्वारा प्रथमबार आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

नन्दा गौरा योजना अन्तर्गत ....किश्त में लाभान्वित होने हेतु रजिस्टर में इनका नाम अंकित कर लिया गया है। उक्त के अतिरिक्त मेरे द्वारा सम्बन्धित लाभार्थी/लाभार्थी के अभिभावक/संरक्षक की चल–अचल सम्पत्ति का स्थलीय निरीक्षण परिवार के विगत 03 बार के बिजली के बिलों एवं परिवार के विगत 01 बार के पानी के बिल के विवरण सहित स्थलीय निरीक्षण किया गया है जिसके अनुसार सम्बन्धित लाभार्थी का घर...... ....(कच्चा/पक्का) है, जिसके भूखण्ड का क्षेत्रफल...........................है। जिसमें.........कक्ष हैं तथा लाभार्थी घर पर ....दुपहिया...............चौपहिया........................ वाहन हैं।

दिनाँक..

हस्ताक्षर..
आंगनवाड़ी कार्यकत्री/मिनी कार्यकत्री/सहायिका का नाम ....
आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम –...
मोबाइल न0 –...
जनपद– ....

सुपरवाईजर की संस्तुति

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा आँगनवाड़ी केन्द्र...की पंजीकरण पंजिका से लाभार्थी की/समस्त सूचनाओं का मिलान कर लिया गया है। आवेदन पत्र संस्तुति सहित अग्रसारित।

दिनांक...
हस्ताक्षर..
सुपरवाईजर का नाम ....
सैक्टर–...
परियोजना–...
क्षेत्र का नाम –...
मोबाइल न0 –...

बाल विकास परियोजना अधिकारी की जांच

प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री..पुत्री श्री ....
........................पता ....के द्वारा प्रस्तुत आवेदन–पत्र की जांच की गई आवेदक तथा उसके अभिभावक द्वारा वर्णित मकान/भू–सम्पत्ति/बैंक विवरण के परीक्षण उपरान्त आवेदक पात्रता की श्रेणी में आता है, अतः नन्दा गौरा योजना के अन्तर्गत इनको लाभान्वित किये जाने की संस्तुति की जाती है। जिसका अंकन **"नन्दा गौरा योजना"** की पंजिका के पृष्ठ संख्या ....पर अंकित कर लिया गया है।

या

जांच उपरान्त आवेदन पत्र पात्रता की श्रेणी में नहीं आता है, अतः नन्दा गौरा योजना के अन्तर्गत इनको लाभान्वित नहीं किया जा सकता है।
लाभान्वित न किये जाने के कारण...
....

दिनाँक...
हस्ताक्षर..
बाल विकास परियोजना अधिकारी का नाम ....
मोबाईल नं0 –...
परियोजना कार्यालय की मुहर–..

लाभार्थी का नवीनतम पासपोर्ट साईज
फोटो

<u>प्रारूप—03</u>

कक्षा—12वी उत्तीर्ण छात्राओं के लिए
(उत्तराखण्ड राज्य में स्थापित बालिका निकेतन, नारी निकेतन, अनाथ आश्रम, उत्तराखण्ड राज्य सरकार द्वारा सहायतित अन्य गृहों में पलने वाली)

1. - छात्रा का नाम :— ....
2. - छात्रा की जन्म तिथिः— ....आयु...............................
3. - पिता का नाम (यदि उपलब्ध हो तो):— श्री..
4. - माता का नाम (यदि उपलब्ध हो तो):—श्रीमती...
5. - इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण करने का वर्ष..................................स्कूल का नाम.......................................

   बोर्ड का नाम...(प्रमाण—पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न क

   (अ) इण्टर उपरान्त उच्च शिक्षा हेतु प्रवेश का विवरणः ....(यदि प्रवेश लिया गया है, तो)

6. - (क) छात्रा का पता ....

   (उत्तराखण्ड राज्य में स्थापित बालिका निकेतन, नारी निकेतन, अनाथ आश्रम, उत्तराखण्ड राज्य सरकार द्वारा सहायतित अन्य गृह का पता)

   (ख) संस्था का सम्पर्क दूरभाष नम्बर...

7. - छात्रा का पैन नम्बर...
8. - छात्रा का आधार से लिंक खाता संख्या...बैंक का नाम एवं शाखा.. **IFSC** कोड...
9. - छात्रा अविवाहित है विषयक स्व—प्रमाणित प्रमाण—पत्र की प्रति :—...
10. - संस्था को अनुदान किस स्त्रोत से प्राप्त होता हैं के विवरण की प्रति (साक्ष्यों सहित)................

घोषणा पत्र

(संस्था के मुखिया/संचालक द्वारा)

मैं, घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्तानुसार सम्बन्धित बालिका के सम्बन्ध में मेरे द्वारा दी गई समस्त जानकारी मेरे संज्ञान में सत्य हैं तथा इसमें किसी भी तथ्य को किसी भी प्रकार से छुपाया नहीं गया है। भविष्य में किसी भी तथ्य के गलत पाये जाने की दशा में मैं **"नन्दा गौरा योजना"** से प्राप्त धनराशि को ब्याज सहित वापस करने हेतु बाध्य रहूँगा/रहूँगी।

उपरोक्त में कोई सूचना गलत/झूठी पाये जाने पर विभाग द्वारा मेरे/संस्था के विरूद्ध भारतीय दण्ड विधान की सक्षम धाराओं के अन्तर्गत आपराधिक वाद दायर किया जा सकता है।

दिनांक :– .... **संस्था के मुखिया/संचालक के हस्ताक्षर**

सहमति पत्र

(सम्बन्धित छात्रा द्वारा)

मैं, घोषणा करती हूँ कि **"नन्दा गौरा योजना"** के लाभ प्राप्त करने हेतु उक्त आवेदन–पत्र मेरी सहमति के आधार पर प्रस्तुत किया जा रहा है।

दिनांक :– .... **छात्रा के हस्ताक्षर**

आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले प्रमाणित अभिलेखों की प्रति का विवरण –

1. - कक्षा 12वीं उत्तीर्ण का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र।
2. - जन्म तिथि प्रमाण पत्र अथवा हाईस्कूल का प्रमाण–पत्र।
3. - आधार कार्ड।
4. - पैन कार्ड।
5. - अविवाहित होने का प्रमाण–पत्र (स्वंय द्वारा प्रदत्त)।
6. - लाभार्थी बालिका के बैंक पासबुक की छाया प्रति।
7. - प्रधानाचार्य द्वारा कक्षा 12 उत्तीर्ण का निर्गत प्रमाण पत्र।
8. - राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय/अन्य शिक्षण संस्थान से कक्षा 12 उत्तीर्ण करने वाली आवेदिका द्वारा स्वप्रमाणित अंक पत्र की छायाप्रति।
9. - उच्च शिक्षा में दाखिले के पूर्ण अभिलेखों की प्रति।
10. - संस्था की अधीक्षिका द्वारा जारी प्रमाण–पत्र।
11. - अन्य आवश्यक अभिलेखों की प्रति।

:: प्रधानाचार्य द्वारा अग्रसारण ::(केवल संस्थागत छात्रा के लिए)

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदिका सुश्री..पुत्री श्री/श्रीमति(यदि उपलब्ध है तो).................................... के द्वारा वर्ष ....में कक्षा 12वी की परीक्षा संस्थागत छात्रा के रूप में उत्तीर्ण की गयी है।

दिनाँक – प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर

विद्यालय की मुहर –   प्रधानाचार्य का नाम–

:: संस्था की अधीक्षिका द्वारा दिया जाने वाला प्रमाण पत्र ::

प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री...पुत्री / श्रीमति(यदि उपलब्ध है तो)... हमारी संस्था के रिकार्ड रजिस्टर के क्रमांक ....पर अंकित है। उक्त के अतिरिक्त मेरे द्वारा सम्बन्धित लाभार्थी के सम्बन्ध में प्रस्तुत जानकारी सही है।

दिनाँक...   हस्ताक्षर

अधीक्षिका का नाम ....

संस्था का नाम –..

सम्पर्क दूरभाष न0 –..

जनपद– ....

जिला प्रोबेशन अधिकारी की जांच

प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री.. पुत्री श्री / श्रीमति(यदि उपलब्ध है तो)..संस्था का पूर्ण पता .... दिनांक..................से निवासरत है, के द्वारा प्रस्तुत आवेदन–पत्र की जांच की गई।

आवेदिका एवं संस्था द्वारा उक्त उपलब्ध कराये गये आवेदन–पत्र के विवरण के परीक्षण उपरान्त आवेदिका पात्रता की श्रेणी में आती है, अतः नन्दा गौरा योजना के अन्तर्गत इनको लाभान्वित किये जाने की संस्तुति की जाती है। जिसका अंकन जिला प्रोबेशन कार्यालय की **"नन्दा गौरा योजना"** की पंजिका के पृष्ठ संख्या ....पर अंकित कर लिया गया है।

या

जांच उपरान्त आवेदन पत्र पात्रता की श्रेणी में नहीं आता है, अतः नन्दा गौरा योजना के अन्तर्गत इनको लाभान्वित नहीं किया जा सकता है।

लाभान्वित न किये जाने के कारण..
....

दिनाँक..   हस्ताक्षर

जिला प्रोबेशन अधिकारी का नाम ....

जनपद का नाम..

मोबाईल नं0 –..

जिला प्रोबेशन कार्यालय की मुहर–